कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 29.09.2023

प्रकरण संख्या : 59 / 2023

उनवान

घनश्याम पुत्र भीमडा उर्फ रामचन्द्र जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा हाल निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां। — वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :— दिनांक :— 27.12.2023

श्री किशोरीलाल चौधरी (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के पास माल ग्राम दिल्लीपुरा में खाता सं. 26 के ख.न. 645 की 1.65 है0, ख.न. 806 की 0.70 है0., ख.न. 807 की 0.22 है. कुल 3 किता की 2.60 है. आंराजी स्थित है। वादी द्वारा अपनी आराजी पर ऋण आदि प्राप्त करने के लिए राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त की तो वादी की जानकारी में आया कि वादी के पिता का बोलचाल का नाम भीमडा दर्ज किया हुआ है जिससे वादी को बैंक द्वारा ऋण आदि देने में भी असमर्थता जाहिर की गई। साथ ही

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादी को आराजी का विकास कार्य करवाने व सरकार से मिलने वाली सहायता/अनुदान से भी वंचित होना पड रहा है।

वादी के पास माल ग्राम दीगोदपार तहसील किशनगंज की ख.न. 1220 की 0.54 है. आराजी स्थित है जिसमें वादी के पिता का नाम रामचन्द्र अंकित है। वादी के पिता का मूल नाम रामचन्द्र है गांव के परिवारजन बोलचाल में भीमडा कहकर संबोधित करते थे, जिसके कारण वादी के पिता का बोलचाल का नाम ही राजस्व रेकार्ड में अंकित हो गया है, जिसे वादी शुद्ध करवाना चाहता है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावे कि –

वादी के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम दिल्लीपुरा में खाता सं. 26 के ख.न. 645 की 1.65 है0, ख.न. 806 की 0.70 है0., ख.न. 807 की 0.22 है. कुल 3 किता की 2.60 है. आराजी में दर्ज वादी के पिता के बोलचाल के नाम भीमडा के स्थान पर वादी के पिता का वास्तविक नाम भीमडा उर्फ रामचन्द्र दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इंद्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली में ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा एवं ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा वादी के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र संलग्न है जिसके अनुसार वादी के पिता का नाम रामचन्द्र है तथा उन्हे भीमडा के नाम से जाना जाता है। प्रतिवादी द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी के पिता का बोलचाल का नाम भीमडा है तथा उनका नाम रामचन्द्र भी है। वादी के पिता को भीमडा एवं रामचन्द्र दोनों नामों से जाना जाता है तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी माल ग्राम किशनगंज, प्रमाण पत्र ग्राम

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

पंचायत दिल्लीपुरा एवं किशनगंज, जवाब सरकार आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम दिल्लीपुरा में खाता सं. 26 के ख.न. 645 की 1.65 है0, ख. न. 806 की 0.70 है0., ख.न. 807 की 0.22 है. कुल 3 किता की 2.60 है. आराजी में दर्ज वादी के पिता के बोलचाल के नाम ''भीमडा'' के स्थान पर वादी के पिता का नाम ''भीमडा उर्फ रामचन्द्र'' दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इंद्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 59/2023 तारीख दायरा 29.09.2023

उनवान

घनश्याम पुत्र भीमडा उर्फ रामचन्द्र जाति किराड निवासी दिल्लीपुरा हाल निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बारां। – वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– दिनांक :– 27.12.2023

श्री किशोरीलाल चौधरी (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री किशोरीलाल चौधरी वादी मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... प्रतिवादी मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम दिल्लीपुरा में खाता सं. 26 के ख.न. 645 की 1.65 है0, ख.न. 806 की 0.70 है0., ख.न. 807 की 0.22 है. कुल 3 किता की 2.60 है. आराजी में दर्ज वादी के पिता के बोलचाल के नाम "भीमडा" के स्थान पर वादी के पिता का नाम "भीमडा उर्फ रामचन्द्र" दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इंद्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार खातेदार पर यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** . .खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी की गई।

मोहर ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद